न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—138 सन् 2018

ध्रुपति कुंअर वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

नवल सिंह वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक—22.08.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 अंतर्गत दिनांक 03.06.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 1 ता 10, 16 ता 24 तथा 26 ता 27, तथा 31 ता 32 उपस्थित होकर बयान तहरीरी दाखिल किए हैं लेकिन प्रतिवादी सं0 8, 11 ता 13, 15, 25, 28, 29, 30, 33, 34 प्रकाशन के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण तामिला संपुष्ट के पश्चात् एकपक्षीय प्रकिया चर रही है। इस वाद के प्रतिवादी सं0 15 मुन्द्रिका राय पिता स्व0 भुलोटन राय की मृत्यु दिनांक 22.01.2022 को हो गई है इनके खिलाफ एकपक्षीय प्रकिया चल रही है फिर भी उपस्थित प्रतिवादीगण के अधिवक्ता दिनांक 11.02.2022 को कॉपी रिसिभ कराकर प्रतिवादी सं0 15 का नाम काटने तथा उनके वारिसान का नाम जोड़ने हेतु आदेश 22 नियम 4 के तहत आवेदन दिया गया है। उपरोक्त वाद में प्रतिस्थापित वाद सं0 1(क) ध्रुपति कुंअर की मृत्यु दिनांक 19.08.2021 को प्रकृति मृत्यु हुई है उनके वारिसान का नाम पूर्व से जुटा हुआ है केवल नाम काटना है। इस संबंध में वादी के अधिवक्ता दिनांक 29.10.2021 को समय से दिनांक 29.10.2021 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को कॉपी रिसिभ कराकर केवल नाम काटने के संबंध में न्यायालय में आदेश 22 नियम 3 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0 06 अशर्फी राय पिता स्व0 भागवत राय ग्राम—कल्यानपुर की मृत्यु दिनांक 29.04.2021 को हो गई है। उनका नाम काटने तथा उनके वारिसानों का नाम जोड़ने हेतु समय से दिनांक 26.07.2021 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को कॉपी रिसिभ कराकर न्यायालय में आदेश 22 नियम 4 के तहत आवेदन दाखिल किया था लेकिन मृतक अशर्फी राय की पुत्रियों का नाम ज्ञात नहीं होने के कारणवश पत्र स्वीकार

नहीं हो सका है। बहस के दौरान आदेश हुआ कि पुत्रियों का नाम जोड़कर एक फ्रेस आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 4 के तहत दिया गया है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0 06 अशर्फी राम की मृत्यु दिनांक 29.04.2021 को होने के पश्चात् उनके वारिसान 6(क) सुनिल राय पिता स्व0 असर्फी राय 6(ख) सुनीता देवी पति अमीर चंद यादव पिता स्व0 असर्फी राय 6(ग) रिंकु देवी पति चन्द्रकेत राय पिता स्व0 अशर्फी राय 6(घ) शालनी कुमारी पिता स्व0 असर्फी राय का नाम उपरोक्त वाद में जोड़ना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 06 अशर्फी राय का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उन्हीं के वारिसानों का नाम जोड़ने की कृपा की जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 22.07.2022 को दाखिल कर कथन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन कानूनन मंजूर होने लायक नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी ने जो प्रस्तावित आवेदन दाखिल करने में विलंब किया है उसमें विलंब का उचित कारण नहीं बताया गया है जिसक कारण आवेदन खारिज होने योग्य है। प्रस्तावित अ ावेदन विलंब से दाखिल करने के कारण वाद अबेट कर गया है और वादी की ओर से उपसमन अपास्त करने हेतु कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। जिस कारण आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 06 अशर्फी राय की मृत्यु दिनांक 29.04.2021 को हो गई है मृत्यु के पश्चात वादी की ओर से उनके जायज एवं कानूनी वारिसाना जो आवेदन में लिखित हैं उनको उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 06 के स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।